

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(21)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 29-4-2020

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.07.19 के द्वारा श्री श्रवण कुमार सैनी, (एनरोलमेन्ट नं0 आर/415/96) अधिवक्ता की अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 2, झुंझुनू के पद पर नियुक्ति की गई थी।

श्री सैनी द्वारा अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, झुंझुनू के पद पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री श्रवण कुमार सैनी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/3262/04) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं02, झुंझुनू में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, झुंझुनू के पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह

(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं02, झुंझुनू।
10. जिला कलक्टर, झुंझुनू।
11. कोषाधिकारी, झुंझुनू।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

ह  
29/4/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि